संख्या-55/2026/I/1424496/2026/11-4099/64/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-6-बजट/पुर्नविनियोजन/2026-2027/194/राज्य कर, दिनांक 23.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित पी0सी0एस0 परीक्षा-2024 के माध्यम से चयनित सहायक आयुक्त, राज्य कर के 02 बैच (98 सहायक आयुक्त प्रति बैच) में डा0 राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ में 02 माह के आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में सम्भावित बचत में से राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 500.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित पी0सी0एस0 परीक्षा-2024 के माध्यम से चयनित सहायक आयुक्त, राज्य कर के आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु** वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान- **मानक मद** 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A011-2026-27-11-4099/64/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक-2040 बिकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान में प्राविधिक धनराशि से पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था/स्वीकृति प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	01 (वेतन)	6,43,75,00,000 रुपये छह अरब तैंतालीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	6,38,75,00,000 रुपये छह अरब अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2026-2027
कुल					**₹ 5,00,00,000**	**₹ 5,00,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,40,00,000 रुपये पाँच करोड़ चालीस लाख मात्र	2026-2027
कुल				₹ 5,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

1- स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान की मानक मद 01- वेतन की सम्भावित बचत रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) होने की पूर्ण सम्म्भावना है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु रू0 40-00 लाख (रूपया चालीस लाख मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 40 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है। राज्य कर विभाग में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2024 के माध्यम से नवचयनित सहायक आयुक्त का 02 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दो बैच (98 सहायक आयुक्त प्रति बैच) में किया जाना प्रस्तावित है। डा0 राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ ने अवगत कराया है कि प्रशिक्षण में एक बैच पर लगभग खर्च लगभग 2.50 करोड होगा इस प्रकार कुल 02 बैचों पर होने वाले व्यय लगभग 5.00 करोड होगा। जिसका भुगतान मानक मद संख्या-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं

अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए से किया जाना है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रू0 500.00 लाख (रूपया पाँच करोड़ मात्र) के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-55-ई-9-80- X-2026-27, दिनांक 05 अगस्त, 2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

(सिद्घार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)

उप सचिव।